जनसत्ता

सत्ता की खातिर

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महीने भर से जिस तरह की जोड़तोड़ और उठापठक वाली गतिविधियां चल रही थीं, उन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया और नए गठबंधन के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। भारत की राजनीति में ऐसा पहले शायद ही हुआ हो जब विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी राज्य में राजनीतिक दलों ने सारी नैतिकता और मर्यादाताओं को तार-तार करते हुए विचारधाराओं तक को ताक पर रख दिया और जनादेश का अपमान किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विश्वासमत हासिल करने में जितनी देर होगी, उतनी ही विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंका बढ़ेगी, इसलिए बुधवार शाम तक मुख्यमंत्री सदन में विश्वासमत हासिल करें। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि उनके पास बहुमत है नहीं और बुधवार शाम तक इसका जुगाड़ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा देने में भलाई समझी। अब राज्य में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सरकार भले कोई बनाए, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों को तो कठघरे में खड़ा कर दिया है।

सत्ता हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल चला, वह राजनीति में अवसरवाद और सौदेबाजी की नई मिसाल है। चुनाव नतीजों के बाद एक पखवाड़े तक भाजपा और उसकी ढाई दशक पुरानी सहयोगी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी लड़ाई चली। दोनों ने इसे नाक का सवाल बना लिया था। इसके बाद शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस का समर्थन मांगा। भाजपा किसी भी सूरत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने सरकार बनाने के लिए अपनी धुर विरोधी राकांपा से हाथ मिलाने तक में परहेज नहीं किया और अंत में सौदेबाजी के तहत अजित पवार को उपमुख्यमंत्री तक बना डाला। हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने राकांपा को 'नेशनल करप्ट पार्टी' (एनसीपी) करार देते हुए एलान किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो अजित पवार जेल में चक्की पीसेंगे। पर आज सत्ता के लिए उन्हीं अजित पवार का हाथ थामते हुए भाजपा को जरा भी हिचक नहीं हुई। इसी तरह कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही विचारधारा के स्तर पर धुर विरोधी हैं, कांग्रेस जहां मुसलमानों की हमदर्द होने का दावा करती आई है, वहीं शिवसेना की राजनीति का केंद्र कट्टर हिंदुत्व है। पर सरकार बनाने के लिए अब दोनों साथ हैं। ये ऐसे सवाल गंभीर सवाल हैं जिनका आने वाले वक्त में सत्ता में रहने वालों और विपक्ष में बैठने को जवाब देना होगा।

महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह राज्यपाल के विवेक और भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। इस पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा की सरकार बनवाने के लिए जिस तरह से काम काम किया, उस पर भी सवाल हैं। आज देश भर में यह पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि राज्यपाल ने रात भर में ही ताबड़तोड़ सारे फैसले किए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं विश्वासमत हासिल करने के लिए तीस नवंबर तक का लंबा वक्त भी दे दिया। महाराष्ट्र की इस राजनीति ने जिस तरह के अविश्वास को जन्म दिया है, उससे क्या मतदाता खुश होंगे!

दिखावे का रोग

किसी भी त्योहार से लेकर शादी समारोहों तक में व्यक्ति का खुश होना और खुशी बांटना स्वाभाविक है। एक तरह से यही बात और व्यवहार त्योहार या ऐसे समारोहों की शोभा भी होती है। लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब ऐसे हर त्योहारों या समारोहों को लोग अपनी शान प्रदर्शित करने या दिखावा करने का मौका मान लेते हैं। कई बार तो इसमें शामिल लोग इस कदर बेलगाम हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं रहती कि उनकी गतिविधियों से कानून का उल्लंघन हो रहा है या फिर किसे तकलीफ पहुंच रही है। शादी के मौके पर आतिशबाजी और गोलीबारी का शौक इसी तरह की हरकत है, जो पारंपरिक समझ के मुताबिक भले ही कुछ लोगों को देखने में अच्छा लगे, लेकिन अपने असर में वह कई तरह की विकृतियों का वाहक है। मसलन, आतिशबाजी से जहां आसपास मौजूद लोगों को जोखिम हो सकता है, वहीं उससे प्रदूषण की समस्या और ज्यादा गहराती है। आतिशबाजी के असर की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिवाली जैसे व्यापक तौर पर मनाए जाने वाले त्योहार के मौके पर भी पटाखे जलाना प्रतिबंधित इसलिए किया गया कि वायु और ध्वनि प्रदूषण का यह एक बड़ा कारण है।

विडंबना यह है कि कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ लोग शादी-ब्याह या किसी अन्य मौके पर आतिशबाजी करने से नहीं चूकते। ऐसा शायद इसलिए भी होता है कि ऐसे मामलों में शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, ताकि अन्य लोगों को सबक मिले। लेकिन मंगलवार को आई खबर के मुताबिक नोएडा में प्रशासन की ओर से साफ शब्दों में यह ताकीद की गई है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर शादी समारोहों में पटाखे जलाए गए तो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को पांच लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर एक साल की कैद हो सकती है। हालांकि शादी-ब्याह में जश्न मनाने के दौरान बेलगाम होकर आतिशबाजी करने को लेकर पहले से ही कानूनी व्यवस्था है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लोग अपनी ओर से नियम-कायदों का खयाल रख कर जश्न मनाने को लेकर संयमित हो पाते हैं। चलती सड़क का काफी हिस्सा घेर कर बारात निकालने, तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाने या बेलगाम तरीके से लेकर आतिशबाजी करना तो आम है, कई बार खुशी जाहिर करने के नाम पर गोलीबारी भी की जाती है।

सही है कि शादी समारोह या कोई भी त्योहार उसे मनाने वाले से लेकर आसपास मौजूद लोगों के लिए खुश होने का मौका होना चाहिए। शादी-ब्याह या त्योहार के मौके पर खुशी जाहिर करने या साझा करने के तमाम सौम्य और सभ्य तरीके हैं। ऐसे शालीन तरीकों से परंपरा में मानवीयता के तत्त्व घुलते हैं और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि खुशी जाहिर करना दरअसल बेलगाम दिखावे की एक तरकीब भर हो और उससे न केवल आबोहवा को नुकसान पहुंचता हो, बल्कि लोगों की जान पर भी जोखिम खड़ा हो जाता हो। ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं जिनमें शादी की बरात में किसी ने शान बघारने के लिए बंदूक से गोली चलाई और धोखे से वह आसपास किसी को लग गई और फिर उसकी जान चली गई। यानी शादी के मौके पर गोलीबारी दरअसल खुशी जताने का एक ऐसा मौका है, जो व्यक्ति को अपराधी बना दे सकता है और जिससे किसी की जान जा सकती है। सवाल है कि इस तौर-तरीके या पारंपरिक शान बघारने का समर्थन किस आधार पर किया जाना चाहिए?

कल्पमेधा

जीवन के पहले चालीस साल मूल पाठ हैं और अगले तीस साल इस पर व्याख्या।

– डिजराइली

जीन कुंडली खोलेगी जिंदगी के राज

प्रमोद भार्गव

मानव डीएनए संरचना विधेयक कानून बन जाने के बाद जीन कुंडली बनाने का रास्ता साफ हुआ है। इस कानून को लाने का मकसद संदिग्ध अपराधी, विचाराधीन कैदी, पीड़ित व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की मूल पहचान करना है। इसके जरिए देश के हर नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा और एक क्लिक पर उसकी आंतरिक जैविक जानकारियां कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगी।

अब देश में जीन कुंडली बनना संभव हो गई है। अभी तक ज्योतिष विद्या से बनाई जाने वाली कुंडली से व्यक्ति के भविष्य और बीमारियों की जानकारी ली जाती थी, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पर अब यह काम जीन कुंडली करेगी, जो पूरी तरह आधुनिक विज्ञान की देन है। इससे पता चल सकेगा कि भविष्य में आपकी संतान को एक हजार सात सौ से भी ज्यादा किस्म की आनुवंशिक बीमारियों में से कौनसी बीमारी हो सकती है। जीन कुंडली से यह भी जान सकेंगे कि एक ही बीमारी से पीड़ित दो अलग-अलग रोगियों में से किसके लिए कौनसी दवा ज्यादा असरकारी होगी। जीन कुंडली बनाना, दरअसल किसी व्यक्ति के जीन समूह यानी जीनोम अनुक्रम (सीक्वेंस) को पढ़ लेना है। फिलहाल जीन कुंडली बनवाने के लिए करीब सत्तर लाख रुपए का खर्च बैठता है, लेकिन अब भारत में यह जांच महज एक लाख रुपए में संभव हो सकेगी। भविष्य में जब इसकी मांग बढ़ेगी तो जीन कुंडली बनवाने का खर्च और कम हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की हैदराबाद और दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं ने एक हजार आठ नमूनों की जीनोम परीक्षण जांच पूरी करने में सफलता हासिल की है। सात अन्य प्रयोगशालाएं भी इस जांच में रुचि दिखा रही हैं।

डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यानी मानव डीएनए संरचना विधेयक कानून बन जाने के बाद जीन कुंडली बनाने का रास्ता साफ हुआ है। इस कानून को लाने का मकसद संदिग्ध अपराधी, विचाराधीन कैदी, पीड़ित व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की मूल पहचान करना है। इसके जरिए देश के हर नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा और एक क्लिक पर उसकी आंतरिक जैविक जानकारियां कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगी। लिहाजा, इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में आम नागरिक के मूल अधिकारों में शामिल गोपनीयता के अधिकार का खुला उल्लंघन मानते हुए विरोध भी हुआ था। दरअसल, यह आशंका बनी हुई है कि तकनीक आधारित इस डाटाबेस का दुरुपयोग स्वास्थ्य एवं उपचार, बीमा और तकनीकी उत्पादों से जुड़ी कंपनियां कहीं लीक तो नहीं करने लग जाएंगी? इन सच्चाइयों के परिप्रेक्ष्य में यदि जीनोम अनुक्रम के परिणाम लीक कर दिए जाते हैं तो यह व्यक्ति की जिंदगी के साथ आत्मघाती कदम होगा। वैसे भी सवा अरब की आबादी और भिन्न-भिन्न नस्ल व जाति वाले देश में कोई निर्विवाद डाटाबेस तैयार हो जाए, यह अपने में बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक हम न तो विवादों से परे मतदाता पहचान पत्र बना पाए, न ही नागरिक को विशिष्ट पहचान देने का दावा करने वाला आधार कार्ड। ऐसे में देश के सभी लोगों की जीन आधाारित कुंडली बना लेना भी एक दुष्कर और असंभव-सा कार्य है।

मानव-शरीर में मौजूद जीनोम कुंडली यानी डीएनए (डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड) की आंतरिक सरंचना जानना जरूरी है। डीएनए नामोक सर्पिल सरंचना अणु कोशिकाओं और गुणसूत्रों का निर्माण करती है। जब गुणसूत्र परस्पर समायोजन करते हैं तो एक पूरी संख्या छियालीस बनती है, जो एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण करती है। इनमें बाईस गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, किंतु एक भिन्न होता है। गुणसूत्र की यही विषमता स्त्री अथवा पुरुष के लिंग का निर्धारण करती है। डीएनए नामक यह जो मौलिक महारसायन है, इसी के माध्यम से बच्चे में माता-पिता के आनुवंशिक गुण-अवगुण स्थानांतरित होते हैं। वंशानुक्रम की यही वह बुनियादी भौतिक, रासायनिक, जैविक और क्रियात्मक इकाई है, जो एक जीन बनाती है। पच्चीस हजार से पैंतीस हजार जीन मिल कर एक मानव जीनोम बनाते हैं, जिसे इस विषय के विषेषज्ञ पढ़ कर व्यक्ति के आनुवांशिकी रहस्यों को किसी पहचान-पत्र की तरह पढ़ सकते हैं।

मानव-जीनोम तीन अरब रासायनिक रेखाओं का तंतु है,जो यह परिभाषित करता है कि वास्तव में मनुष्य है क्या? इसे पढ़ने के लिए 1980 में 'मानव-जीनोम परियोजना' लाई गई थी। इस पर तेरह हजार आठ सौ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें अंतरराष्ट्रीय जीव और रसायन विज्ञानियों की बड़ी संख्या में भागीदारी थी। भिन्न मोर्चों पर दायित्व संभालते हुए इन विज्ञानियों ने इस योजना को 2001 में अंजाम तक पहुंचाया। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आधुनिक जीव वैज्ञानिक आज कोशिकीय रसायन शास्त्र की जटिलता का विश्लेषण करने में पारदर्शी दक्षता का दावा करने लगे हैं। इस सफलता ने यह तो तय कर दिया है कि जीव विज्ञान में रासायनिक विश्लेषण से सभी समस्याओं का तकनीकी समाधान संभव है।

जीन कुंडली के पक्ष में अपराध व बीमारियां नियंत्रित कर लेने का मजबूत तर्क है। इससे खोए, चुराए और अवैध संबंधों से पैदा हुई संतान के माता-पिता का भी पता चल

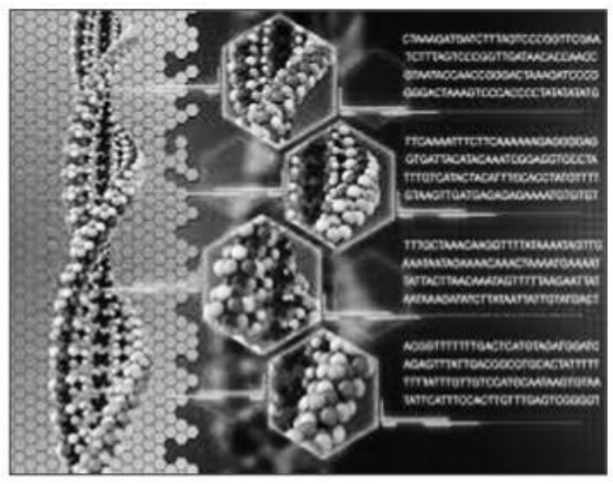

जाएगा। लावारिस लाशों की पहचान संभव हो सकेगी। जीन संबंधी परिणामों को सबसे अहम चिकित्सा के क्षेत्र में माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक यह शत-प्रतिशत तय नहीं हो सका है कि दवाएं किस तरह बीमारी का प्रतिरोध कर उपचार करती हैं। जाहिर है, अभी ज्यादातर दवाएं अनुमान के आधार पर रोगी को दी जाती हैं। जीन के सूक्ष्म परीक्षण से बीमारी की सार्थक दवा देने की उम्मीद बढ़ गई है। लिहाजा इससे चिकित्सा और जीव-विज्ञान के अनेक राज तो खुलेंगे ही, दवा उद्योग भी नए स्वरूप में फले-फूलेगा। इसीलिए मानव जीनोम से मिल रही सूचनाओं का दोहन करने के लिए दुनिया भर की दवा, बीमा और जीन-बैंक उपकरण निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियां अरबों का न केवल निवेश कर रही हैं, बल्कि राज्य सत्ताओं पर जीन-बैंक बनाने का दबाव भी बना रही हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की आंख, त्वचा, बालों के रंग, नाक व कान के आकार, आवाज, लंबाई जैसे सभी लक्षणों से लेकर बीमारियों का होना या न होना जीन से तय होता है। जीन हरेक प्राणी की कोशिका में होते हैं। कोशिका में मौजूद तीन अरब जीन की शृंखला को जीनों का समूह जीनोम कहा जाता है। इन्हीं जीनों को क्रमवार लगाना जीन कुंडली कहलाता है। जीन की किस्मों का पता लगा कर मलेरिया, कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह और दिल की बीमारियों से कहीं ज्यादा कारगर ढंग से इलाज किया जा सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बावजूद इसके केवल बीमार व्यक्ति अपना डाटाबेस तैयार कराए, हरेक व्यक्ति का जीन डाटा इकट्ठा करने का क्या औचित्य है, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने में आ सकते हैं। यदि व्यक्ति की जीन-कुडंली से यह पता चल जाए कि व्यक्ति को भविष्य में फलां बीमारी हो सकती है, तो उसके विवाह में मुश्किल आएगी, बीमा कंपनियां बीमा नहीं करेंगी और यदि व्यक्ति एड्स जैसी बीमारी से ग्रस्त है तो रोग के उभरने से पहले ही उसका समाज से बहिष्कार होना तय है। गंभीर बीमारी की शंका वाले व्यक्ति को खासकर निजी कंपनियां नौकरी देने से भी वंचित कर देंगी। जाहिर है, निजता का यह उल्लंघन भविष्य में मानवाधिकारों के हनन का प्रमुख सबब बन सकता है।

इसके डेटा संग्रह के लिए देश भर में प्रयोगशालाएं बनानी होंगी। प्रयोगशालाओं से तैयार डेटा आंकड़ों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए डीएनए डाटा-बैंक बनाने होंगे। जीनोम-कुंडली बनाने के लिए ऐसे सुपर कंप्यूटरों की जरूरत होगी, जो आज के सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर से भी हजार गुना अधिक गति से चल सकें। बावजूद महारसायन डीएनए में चलायमान वंशाणुओं की तुलनात्मक गणना मुश्किल है। इस ढांचागत व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए विधेयक के मसौदे में डीएनए प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। हमारे यहां कंप्यूटरीकरण होने के पश्चात भी राजस्व-अभिलेख, बिसरा व रक्त संबंधी जांच-रिपोर्टों और आंकड़ों का रख-रखाव कतई विश्वसनीय और सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार के चलते जांच प्रतिवेदन व डेटा बदल दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में आनुवंशिक रहस्यों की गलत जानकारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता से खिलवाड़ कर सकती हैं। बावजूद निजी जेनेटिक परीक्षण को कानून के जरिए अनिवार्य बना देने में कंपनियां इसलिए लगी हैं, जिससे उपकरण और आनुवंशिक सूचनाएं बेच कर मोटा मुनाफा कमाया जा सके।

खारेपन की मिठास

मृदुला सिन्हा

पिछले पांच सालों के दौरान यमुना तट से लेकर अरब सागर तक आना-जाना निरंतर जारी रहा। गोवा जाने और राज्यपाल के पद का कार्यभार संभालने से पूर्व मित्रों ने कहा था कि गोवा तो भारत की धरती पर स्वर्ग है। किसी ने कहा कि यमुना के किनारे दिल्ली में रहने वाली महिला अरब सागर के किनारे जा रही है। इससे पहले मेरे मन में दोनों की तुलना कभी नहीं आई थी। इतना जरूर था कि उस व्यक्ति के मन में शायद यमुना का कभी मीठा रहे पानी और अरब सागर के खारे पानी का स्वाद पसरा पड़ा था।

मेरे मन में भी कौतूहल था कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे रह कर प्रकृति के क्या-क्या रूप देखने को मिलेंगे! आवास से सिर्फ बीच-पच्चीस मीटर दूर स्थित समंदर मेरा निकटतम पड़ोसी बन गया। मैंने पहले भी देखा था सागर। देशभर के कई महासागरों के किनारे बसे देशों के प्रमुख शहरों में आना-जाना हुआ था। समंदरों की लंबाई-चौड़ाई मापने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन कभी-कभी उनकी लहरों की ऊंचाई आंखों से मापते समय गर्दन पीठ से सट जाती थी। शांत सागर भी मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता था।

उसे देखते, उससे बातें करते पांच साल बीत गए। सागर से पूछने के लिए मन में उठते बहुत सारे प्रश्न मन में ही रह गए। सोचती रही कि 'अभी जल्दी क्या है, फिर कभी पूछ लूंगी।' समय बीत गया। राजभवन से विदा लेते समय उसकी एक खिड़की खोल कर सामने खड़ी कुछ सोच-विचार में लगी थी। सागर की ओर से हवा का झोंका आया, मेरे शरीर को सहला गया। मन में विचार आया कि यह हवा सागर को छू कर आई है। इसमें तो कोई खारापन नहीं है! तभी पास बैठे पति ने अखबार में छपी खबर पढ़ते हुए कहा- 'देखिए, दिल्ली की क्या बुरी स्थिति है! सांस लेना मुश्किल है।' मैं चुप रही। सोचा कि दिल्ली तो यमुना किनारे बसी है। पानी मीठा है, फिर उस शहर की हालत ऐसी कैसे हो गई? बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषित हवा के अंदर जाने पर दिल में कैसी हलचल होती होगी? यह तो अरब सागर के किनारे बैठ कर भी सिर्फ कल्पना कर लेने से लोगों के दिल बैठने लगे थे।

दुनिया मेरे आगे

मैंने नजर उठा कर सागर की ओर देखा। उसकी लहरें मानो उछल-उछल कर कह रही हों- 'मेरे खारेपन से घबराओ नहीं... हवा तो मैं तुम्हारी तरफ शुद्ध भेज रहा हूं... अतिशुद्ध। मेरे किनारे बसने वाले बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाते हैं।' दरअसल, गोवा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है। मुझे आश्चर्य होता था कि कभी-कभी शोर मचाने वाले समुद्र के किनारे गोवा के लोग इतने शांत क्यों हैं, इतने सहिष्णु कैसे हैं? हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई और आदिवासी आबादी के रहते हुए इतना मधुर संबंध और मेलजोल कैसे स्थापित होता है! गोवा आने वाले सभी लोग यही कहते थे कि गोवा के लोग वैसे ही हैं, जैसे मेरी अनुभूति हुई।

यों गोवा की अनेक खूबियां मुझे भाती थीं। जिस समुद्र को लेकर गोवा की अनेक विशेषताएं बनती थीं, पानी उसका खारा था। लेकिन खारे पानी को छूकर आने वाली हवा बेहद शीतल और मीठी थी और यमुना के किनारे बसा शहर भारत की राजधानी दिल्ली प्रदूषित हवा से ग्रस्त। यह सोच कर मन दुखी होता था। खैर, जब विमान से दिल्ली उतरने वाली थी तो खिड़की से दिखा कि चारों ओर धुंधलका छाया था। बाकी यात्री भी शायद सोच रहे होंगे कि कुछ और दिन गोवा में ठहर जाना उचित होता। लेकिन सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। हवाई जहाज प्रदूषित हवा की मोटी परत को भेदते हुए जमीन पर उतर गया, तो हमें भी बाहर आना ही था। सूरज के डूबने से पहले ही दिल्ली के प्रदूषण ने उसे 'श्रीहीन' कर दिया था। दिल्ली की हवा के साथ-साथ यमुना का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। सरकारी-गैरसरकारी, सभी ओर से प्रदूषण को कम करने के उपाय हो रहे थे।

गोवा अरब सागर के किनारे ही रहेगा। वहीं टिक कर अपनी ख्याति दूर-दूर तक पहुंचाता रहेगा। दिल्ली तो दिल वालों की है। प्रदूषण को बर्दाश्त कर अपने दिल को मजबूत कर यहीं रहेंगे यमुना किनारे। लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि खारापन अपने दिल में संजोए हुए रखने वाले भी मीठे स्वभाव और व्यवहार के होते हैं। मैं उनकी मीठी-मीठी स्मृतियां बटोर लाई हूं। अब दिल्ली में बिखेरती रहूंगी। सागर तो सागर है। यमुना जैसी अनेक बड़ी-छोटी नदियां सागरों में मिलती हैं। नदियों का मीठा पानी सागर से मिल कर खारा हो जाता है। नदी नहीं रहती है, सागर बन जाती है। मीठे को खारा बना लेने वाला सागर पसरा पड़ा है और रहेगा। प्रदूषण आता-जाता रहेगा। प्रदूषण दूर करने के उपाय हैं। सुना है सागर के खारा जल को भी मीठा बनाने के उपाय वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ लिया है। इसीलिए तो बदलती दुनिया को देख कर लगता है- 'भगवान ने दुनिया बनाई या दुनिया वालों ने भगवान!'

(लेखिका गोवा की पूर्व राज्यपाल हैं।)

मेहमानों की कब्रगाह

संपादकीय 'बदहाल झीलें' पढ़ा। इस संदर्भ में अमर गीतकार दिवंगत शैलेंद्र का लिखा यह गीत याद आया- 'मेहमां जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है!' भारत के जन-जन के होठों पर यह गीत मौजूद रहता है। लेकिन पिछले दिनों देश के सबसे बड़ी खारे पानी की राजस्थान की सांभर झील में एक विचित्र स्थिति बनी है। पृथ्वी के सबसे उत्तरी छोर रूस के साइबेरिया, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न झीलों और उत्तरी ध्रुव के निकटस्थ यूरोप के देशों से दसियों हजार किलोमीटर की अविराम, कष्टकारी और थका देने वाली यात्रा के बाद सदियों से सैकड़ों प्रजातियों के मेहमान पक्षियों का आगमन होता है। उनका स्वागत करने के बजाय हम सांभर झील के किनारे के रेगिस्तान को उन लाखों पक्षियों को अपने पैसे की हवस और लोभ-लालच से झील के पानी को विषाक्त बना कर, उन्हें मार कर हमने उनका कब्रिस्तान जरूर बना दिया है!

खबरों के मुताबिक सांभर झील में प्रति वर्ष पचास हजार फ्लेमिंगो और एक लाख वेडर्स नामक पक्षियों सहित नॉदर्न शावलर, पिनलेट, कॉमन टील, रूडी शेलडक, ब्लैक शेल्डर काइट, कैस्पियन गल, सेंड पाइपर, लिटिल रिंग्स प्लोवर, ब्लैक हेडेड गल आदि सैकड़ों तरह के दो से तीन लाख तक प्रवासी पक्षी एक निश्चित मौसम में प्रतिवर्ष आते हैं। लगभग सवा दो सौ वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैली सांभर झील के नमकीन पानी के चारों तरफ के किनारों पर हजारों वैध-अवैध नमक बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वहां खोले गए हजारों ढाबों, होटलों आदि से निकले प्रदूषणयुक्त और रसायनयुक्त पानी को बगैर रोक-टोक के सांभर झील में ही डाल देने से झील में उत्पन्न कुछ खतरनाक किस्म के वायरस आदि के कारण पिछले दस-ग्यारह दिनों से रोज दसियों हजार पक्षी मर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक लाखों की तादाद में हमारे यहां आए प्रवासी मेहमान पक्षी मौत के मुंह में जा चुके हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जिन वजहों से ये पक्षी मर रहे हैं, उससे बचाने का कोई उपाय तो नहीं ही किया गया, उनकी बीमारी की दवा या इलाज का भी अभाव है।

सच्चाई यह है कि इन लाखों मेहमान पक्षियों को हमारे लोभ-लालच और हमारी हवस की वजह से उन्हें अपने स्थायी घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने प्राण गंवाने पड़े। अब लाखों की संख्या में बड़े झुंड में आए पक्षियों का बड़ा समूह कुछ सौ या हजारों की संख्या के छोटे झुंड में अपने वतन को वापस लौटेंगे तो यही सोच रहे होंगे कि हमारे लाखों साथी आखिर क्यों तड़प-तड़प कर मर गए! या फिर वे यह भी सोचें कि हम फिर ऐसी संहारक जगह कभी नहीं आएंगे! संभव है कि वे भविष्य में कभी सांभर झील जैसी लाखों पक्षियों के कब्रगाह स्थल पर आना ही बंद कर दें।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

लोकतंत्र के लिए

प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की विश्वविख्यात परिभाषा दी थी- 'लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है।' अगर इस परिभाषा के आलोक में आज के भारतीय लोकतांत्रिक परिदृश्य का ईमानदारी से आकलन किया जाए तो हमारी अवधारणा हिल सकती है। वर्तमान में जनतंत्र से चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता और उससे मिलने वाले सुख और सुविधा के लिए अपने नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का पतन कर रहे हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर ने बहुत पहले ही कहा था कि राजनीति और वाणिज्य का साथ यानी संपत्ति और सत्ता का लालच असीमित है जो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा।

भारत में धन, तंत्र और लोभ का प्रचलन हावी हो रहा है, जिससे देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता बढ़ती जा रही है। सत्ता का लोभ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अराजकता, भ्रष्टाचार अस्थिरता और अविश्वास पैदा करता है। पूरा देश महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक उठा-पटक से हतप्रभ है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि 'हॉर्स ट्रेडिंग' कर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास किया गया हो। आज लगभग सभी टीवी चैनलों पर ऐसी राजनीति और सत्ता हासिल करने के खेल में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं।

आज मुख्य चुनौती है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद लोकतंत्र का अस्तित्व और उस पर लोगों की आस्था बना कर रखी जाए।

● *संत जी, पटना, बिहार*

कला का दायरा

अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में चयनित फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाना चाहिए, ताकि दर्शक राष्ट्र की संस्कृति और ज्ञानार्जन में उपयोगी पटकथाओं, फिल्मांकन और अभिनय की नवीन विचारधाराओं से परिचित हो सकें। ये फिल्में मन को प्रभावित करने वाली होती है, जिससे मानवीय संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने आती है। श्रेष्ठ कलात्मक फिल्मों को बनाने की दिशा में भारतीय निर्माता कतराते हैं। फिल्म उद्योग के पूरी तरह व्यावसायिक होने से वे अच्छी कलात्मक फिल्मों का निर्माण कर फिल्मोत्सव में शामिल करने की सोच बहुत कम निर्मित करने की रखते हैं।

एक दौर चला था, जब 'अर्द्धसत्य', 'पार', 'सारांश', 'उत्सव', 'मोहनजोशी हाजिर हो' आदि फिल्मों ने पुरस्कार पाकर भारत का गौरव बढ़ाया था। अब ऐसा लगने लगा है कि यह गौरव वहीं जड़वत हो गया है या इन्हें अंतरर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में शामिल करने की गति धीमी है। ऐसा लगता है कि अब भारत में कलात्मक और प्रभावपूर्ण फिल्में नहीं बनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में पुरस्कृत होने के लिए श्रेष्ठ कलात्मक फिल्मों का निर्माण होना आवश्यक है।

● *संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सुनहरा दौर

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने सबसे अच्छे दौर में है और लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है। जीत भी ऐसी कि विपक्षी टीम टिक नहीं पा रही है। लगातार चार टेस्ट हमने एक पारी के अंतर से जीते हैं जो एक रिकॉर्ड है। एक समय था जब हम स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर रहते थे, मगर आज हमारी ताकत तेज गेंदबाज हो गए हैं। इसका प्रमाण है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सभी उन्नीस विकेट हमारे तेज गेंदबाजों को मिले। जसप्रीत बुमराह आज सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज माने जा रहे हैं, वही मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार का जलवा भी बना हुआ है। इस साल भारतीय तेज गेंदबाजों ने स्पिनरों से ज्यादा विकेट लिए है।

● *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*

www.readwhere.com